प्रमाणित प्रतिलिपी ..... आदेश .....

न्यायालय ..... ACJMM - 20 .....

म. नं. ..... 131 ..... सन् 13 .....

अनुदान मुकदमा ..... सर० / आलोक .....

तारीख पेशी / फैसला ..... 11.11.13 .....

(1) आवेदन पत्र का पंजीयन संख्या 3836

(2)- आवेदन पत्र प्रस्तुत होने की दिनांक 12.11.13

(3)- प्रतिलिपि तैयार किये शब्दों की संख्या ..... 11 Page

(4)- प्रतिलिपि शुल्क के रूप में प्राप्त की राशि 11.00/-

(5)- प्रतिलिपिक का नाम ..... PPC

(6)- प्रतिलिपि के निर्णय हेतु निर्धारित दिनांक 2

(7)- प्रतिलिपि तैयार होने की दिनांक 20.11.13

(8)- आवदक को सूचना देने की दिनांक 20.11.13

(9)- प्रतिलिपि विवरण / जारी की दिनांक 21.11.13

अति. सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 20 ★ जयपुर महानगर (सांगानेर)

सत्यमेव जयते

सत्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिक

अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं

अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम--20

जयपुर महानगर (सांगानेर)

न्यायालय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम संख्या 20
जयपुर महानगर सांगानेर, जयपुर।

पीठासीन अधिकारी : अनीश दाधीच, आर.जे.एस

फौजदारी मूल प्रकरण संख्या : 131/13(1870/06)

राज्य सरकार

.... अभियोगी

बनाम

आलोक शर्मा श्री मालीराम जाति ब्राहमण उम्र 41 साल, मंगला पार्क खण्डक पाडा गंधारे बर्णे रोड, गोदरोज हिल रोड, कल्याण वेस्ट थाने(महाराष्ट्र)

अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 406 भा0दं0सं

प्रतिहस्ताक्षर
प्रभारी अधिकारी, प्रतिलिपि
20 NOV 2013
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-20
जयपुर महानगर (सांगानेर)

उपस्थिति : 1 विद्वान सहायक लोक अभियोजक वास्ते सरकार।
2. श्री जे0पी0शर्मा विद्वान अधिवक्ता परिवादी की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश पारीक, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

निर्णय दिनांक : 11-11-13

पुलिस थाना सांगानेर शहर की ओर से अभियुक्त आलोक शर्मा के विरूद्ध उपरोक्त शीर्षकाधीन धाराओं में परिवाद पत्र पर की गई जांच के आधार पर आरोप पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 05.12.2000 को एक परिवाद, परिवादिया श्रीमती नीलम शर्मा की ओर से परिवाद में अंकित अभियुक्तगण संख्या एक व दो के विरूद्ध पेश कर अंकित किया कि प्रार्थिया का विवाह आलोक के साथ 20.11.2000 को शाहड कल्याण मुम्बई में संपन्न हुआ था। विवाह पर प्रार्थिया के घरवालों ने अपनी हैसियत से बढकर दहेज व नकदी प्रार्थिया के ससुराल वालों को दी थी। अभियुक्त आलोक द्वारा स्वयं एवं उसके परिवारजन द्वारा परिवादीया व उसके परिवारजन को बताया कि उसने आई0सी0डब्लू0ए0आई दिसम्बर, 1999 में पास होना बताया था एवं काफी अच्छी आय बताई थी। विवाह के पश्चात् परिवादिनी को ज्ञात हुआ कि अभियुक्त ने आई.सी.डब्लू.ए.आई. फाईनल पास ही नहीं कर रखा है। परिवादिया को उसके पिता के यहां से पैसे लाने हेतु दबाव डाला जाने लगा व दो लाख रूपये की

सत्य प्रतिलिपि
प्रतिलिपिक
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-20
जयपुर महानगर (सांगानेर)

मांग की। मना करने पर उसे हैरान व परेशान करना प्रारम्भ कर दिया तथा उसकी रोजमर्रा की जरूरत पूर्ण नहीं की जाती एवं बात बात पर परिवादिनी को ताने दिये जाते। इसी बीच परिवादिनी गर्भवती हो गई तो अभियुक्तगण द्वारा परिवादिया की सही प्रकार से देखभाल नहीं की गई तथा सही प्रकार से उसका उपचार नहीं कराया तथा अपने पीहर जाकर डिलेवरी कराने हेतु दबाव डाला एवं 9 फरवरी, 2003 को परिवादिनी को घर से निकाल दिया जिसपर परिवादिनी जयपुर अपने परिवारजन के पास आई और समस्त तथ्यों से अवगत करायास। दिनांक 29 अप्रेल, 2003 को उसने एक जीवित पुत्र को जन्म दिया जिसकी सूचना अभियुक्तगण को दिये जाने के बावजूद वे परिवादिनी व बच्चे से मिलने नहीं आये न ही कोई राशि भेजी। बातचीत करके परिवादिनी व उसके बच्चे को पुनः अभियुक्तगण के पास भेज दिया परन्तु अभियुक्तगण के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। अभियुक्त पैसे पैसे के लिये परिवादिनी व उसके बच्चे को तरसाता रहा एवं उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करता और दिनांक 23-3-04 से 25-6-04 तक घर से बाहर निकाल दिया तथा समझाईश के बाद जून, 2004 में अभियुक्तगण के पास परिवादिनी चली गई एवं अभियुक्त परिवादिया को ई-303, लोढा भवन, डोम्बी वेली, मुम्बई किराये के मकान में ले गया परन्तु वहा से तीसरे ही दिन परिवादिनी व उसके पुत्र को रात को घर से निकाल दिया जिसपर परिवादिया अभियुक्त संख्या 2 के पास जाकर रहने लगी किन्तु 10-15 दिन में ही अभियुक्त संख्या 2 ने ताने मारना शुरू कर दिया व मानसिक यातनायें दी जाने लगी व दहेज की मांग की जाने लगी तथा दिनांक 31-8-04 को पुनः घर से निकाल दिया। दिनांक 1-9-04 को परिवादिया पहने हुये कपडो में ही घर आई और अपने पिता के पास रहने लगी वहा भी अभियुक्तगण द्वारा धमकियां दी जाने लगी व दो लाख रूपये की मांग की जाने लगी जिसपर उसने भरण पोषण हेतु संबधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया। अभियुक्तगण द्वारा जरिये पत्र परिवादिया व उसके परिवारजन को देख लेने की धमकी दी जा रही है व दहेज की मांग की जा रही है। अभियुक्त संख्या एक 12 अप्रेल को जयपुर परिवादिया के घर आया व दो लाख रूपये की मांग की। दिनांक 18-4-05 को अभियुक्त पुनः आया व कहा कि रूपये दिला रही है या तलाक दूं। परिवादिनी ने स्त्रीधन लौटाने हेतु कहा तो मना कर दिया। परिवादिया महिला थाना गांधीनगर रिर्पोट दर्ज कराने गई तो उसकी रिर्पोट लेने से इन्कार कर दिया जिसपर यह इस्तगासा न्यायालय में पेश किया

अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-20
जयपुर महानगर (सांगानेर)

[redacted]। उक्त आशय का इस्तगासा पेश होने पर उसे न्यायालय द्वारा धारा 156 (3) दण्ड प्रकिया संहिता के तहत अनुसंधान बाबत् पुलिस थाना सांगानेर को भेजा गया जिस पर पुलिस थाना सांगानेर जयपुर पर मामला दर्ज किया जाकर जांच की गई तथा बाद जांच अभियुक्त आलोक शर्मा के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 498 ए. 406 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया जिस पर प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

दिनांक 22–9–09 को अभियुक्त आलोक शर्मा को धारा 498–ए. 406 भारतीय दण्ड सहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी.डब्लू.1 के.के. अवस्थी, पी.डब्लू.2 नीलम शर्मा, पी.डब्लू. 3 कैलाश चन्द्र कुंजवाल को परीक्षित करवाया एवं प्रलेखीय दस्तावेजात में इस्तगासा प्रदर्श पी–1, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–2, दहेज सामान सूची प्रदर्श पीक–3, फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी–4, फर्द जब्ती दहेज सामान प्रदर्श पी–5 प्रदर्शित करवाया गया।

इसके पश्चात् अभियुक्त के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत कलमबद्ध किये गये तो अभियुक्त ने गवाहान के कथनों को गलत होना तथा गवाहान द्वारा झूंठे बयान देना बताते हुए कथन किया कि परिवादिया नौकरी करने की मानसिकता रखने वाली महिला है दहेज के केस में दबाव बनाने के लिये झूंठा मुकदमा किया है। तथा प्रलेखीय साक्ष्य में दस्तावेजात प्रदर्श डी–1 लगायत डी–23 को प्रदर्शित कराया।

बहस अन्तिम सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह निवेदन है कि जो साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई है उसमें काफी विरोधाभास है तथा आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी निवेदन है कि अभियुक्त के विरूद्ध जो आरोप लगाये गये हैं तथा जो परिवाद पेश किया गया है उसमें

अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–20
जयपुर महानगर (सांगानेर)

सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं
अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–20
जयपुर महानगर (सांगानेर)

समस्त घटना महाराष्ट्र मुम्बई की घटना बताई गई है इस कारण से न्यायालय को प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। अभियुक्त ने प्रार्थीया पी0ड02 नीलम शर्मा को विवाह के पश्चात बहुत अच्छी तरह से रखा तथा सुख सुविधाएं उपलब्ध गराई। उसके प्रति कोई कूरता नहीं की है। प्रार्थीया ने जो तथ्य परिवादी में अंकित किये हैं एवं जो साक्ष्य आई है उसमें गंभीर विरोधाभास हैं प्रार्थीया के गर्भवती होने पर उसका नियमित रूप से मेडीकल चैकअप करवाया गया। इस बात को उसने स्वयं स्वीकार किया है। अभियुक्त ने प्रार्थीया को हवाई जवाज के टिकिट बुक करवाकर जयपुर भेजा जबकि अभियुक्त की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी तथा अभियुक्त ने प्रार्थीया को खर्चे हेतु पैसे भी दिये । प्रतिपरीक्षा में प्रार्थीया ने यह स्वीकार किया है कि उसे अपने माता–पिता व परिजनों के पास बात–चीत करनेके लिए टेलिफोन की सुविधा थी। उनका यह भी निवेदन है कि विवाह के पश्चात प्रार्थीया अपने पति के साथ विभिन्न स्थानों पर स्वतंत्र रूप से रही है तथा विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी निवेदन है कि अभियुक्त की ओर से विभिन्न फोटोग्राफ्स भी पेश किये गये हैं। जिनका अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थीया नीलम अच्छी तरह से पति के साथ निवास कर रही थी। उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी। प्रार्थी ने अपने बयानों में फोटो खिंचवाने के तथ्य को स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त प्रदर्श डी–1 व डी–2 टिकिट भी अभियुक्त की ओर से प्रदर्शित करवाया गया है तथा प्रार्थीया का पारिवारिक न्यायालय में हुआ बयान प्रदर्श डी–23 प्रदर्शित करवाया गया है। बच्चा पैदा होने पर अभियुक्त ने प्रार्थीया को संभाला था तथा प्रार्थीया की सुरक्षा के लिए ग्रिल आदि लगवाये गये थे जिसके बिल आदि भी पेश किये गये हैं। टेलिफोन का रिकार्ड भी अभियुक्त की ओर से पेश किया गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीया नियमित रूप से अपने परिवार वालों से बातचीत करती थी और उसे किसी प्रकार की असुविधा नहीं थी। जो साक्षी अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं वे सभी हितबद्ध साक्षी है, कोई भी स्वतंत्र साक्षी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करता है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी निवेदन है कि परिवाद में भी कांट–छांट है। परिवाद पत्र की मद संख्या–3 में क्षेत्राधिकार बनाने की दृष्टि से जोडा गया है केवल आई.डी. नहीं होने के कारण कूरता नहीं मानी जा सकती है। उक्त सब परिस्थितियों में अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जावे।

अपर मुख्य ... क्रम–20

सत्य प्रतिलिपि
प्रतिलिपिक
जयपुर महानगर (सांगानेर)

विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में कथन किया है कि अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष आरोपित अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। उनका यह भी निवेदन है कि जो बॉयोडेटा अभियुक्त की ओर से परिवादीया को दिये गये उसमें आई सी डब्लू ए आई पास होना बताया गया था जबकि अभियुक्त द्वारा यह कोर्स नहीं किया हुआ है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त व उसके परिवारजनका आचरण परिवादीया के प्रति मानसिक कूरता का रहा है इस कारण से परिवादीया को काफी प्रताडित किया गया हैं। प्रस्तुत किये किये साक्षियों को अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया है।

न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :

क्या अभियुक्त ने परिवाद प्रस्तुत होने से पूर्व परिवादिया नीलम शर्मा का विवाह, अभियुक्त आलोक शर्मा से होने के पश्चात् विभिन्न दिनांकों पर एवं समय–समय पर अभियुक्त द्वारा परिवादिया से दहेज की मांग करते हुए उससे मारपीट की गई परिवादिया के साथ मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित कर कूरता कारित की तथा परिवादिया का स्त्रीधन मांगने पर अभियुक्त द्वारा नहीं लौटाया गया और बेईमानीपूर्ण आशय से अपने उपयोग में दुर्विनियोग कर लिया?

यदि हॉ, तो आरोपित अपराध साबित होने पर अभियुक्त के लिए उचित दण्ड क्या होगा ?

पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में गवाह पी.डब्लू.1 के.के.अवस्थी जो कि इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है, के बयान कराये गये है तथा परिवादी पी. डब्लू.2 नीलम शर्मा व पी.डब्लू.3 कैलाश चन्द्र के बयान लेखबद्ध करवाये गये है तथा विभिन्न दस्तावेजात प्रदर्शित हुये है। इस प्रकार इस प्रकरण में केवल पी. डब्लू.2 नीलम शर्मा एक मात्र महत्वपूर्ण साक्षी है जिसके द्वारा अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि अभियुक्त ने 20 नवम्बर, 2000 को शादी से पूर्व अपनी शैक्षणिक योग्यता आई.सी.डब्लू.ए.आई. बताई थी तथा अपना वेतन 10 से 15 हजार रूपये के बीच बताया था। शादी के बाद पता चला कि अभियुक्त उक्त योग्यता नहीं रखता है और उसका वेतन भी 10 से 15 हजार रूपये नहीं है इस कारण से उसे काफी मानसिक प्रताडना हुई। उसके पश्चात् भी उसे

सत्य प्रतिलिपि

ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिये परेशान व प्रताडित किया जाता रहा और उसके साथ गाली गलौच व मारपीट की गई तथा गर्भवती होने के पश्चात् भी उसे चिकित्सक को नहीं दिखाया गया और ताने दिये जाते रहे। उसे बेडरेस्ट बताये जाने पर भी उससे काम करवाया गया। कुआं पूजन के समय मांग की गई। सितम्बर, 2003 में वह पुत्र के जन्म के पश्चात् वापस अपने पति के घर आई तो वहां पर इनके अत्याचार जारी रहे जून, 2004 में पुत्र सहित घर से बाहर निकाल दिया। सन् 2005 में उसके पति ने जयपुर में मायके में आकर बहुत सारा उल्टा सीधा बोला जिससे उसके चचेरे मामाजी को फोन करके बुलाना पडा जिनके समझाने पर ये अन्दर तो आ गये परन्तु दो लाख रूपये की मांग करने लगे। गवाह पी.डब्लू.2 ने यह भी कथन किया है कि अपने पति के डर से वे सांगानेर में अपने रिश्तेदार के घर आकर रहने लगी। प्रतिपरीक्षा में गवाह पी.डब्लू.2 ने यह स्वीकार किया है कि रोकने की रस्म फरवरी, 2000 में की गई। उसके पश्चात् 8–9 महिने बाद शादी हो गई किसी प्रकार की कोई मांग अभियुक्त द्वारा नहीं की गई। शादी के बाद महाबलेश्वर 4–5 दिन घूमने गई थी उनका विवाह बम्बई में हुआ था। यह सही है कि जनवरी, 2001 से हम रोहा मेरे पति के कार्य स्थल पर रहने लगे। रोहा में मेरे पति के पास फोन था। उसने अपने माता पिता से कई बार फोन पर बात की है यह बात सही है। यह सही है कि रोहा में 5–10 मिनट की दूरी पर एस.टी.डी. बूथ भी था मैंने उसका प्रयोग एक दो बार किया था। मैं बीच 2 में रोहा से मेरे ससुर के घर आती जाती थी। यह सही है कि फरवरी, 2002 में मेरे भाई की शादी बीकानेर में हुई थी जहां मेरा पति व पूरा परिवार गया था उसमें भेट स्वरूप लिफाफा दिया था। मार्च, 2002 में आर्मी के स्कूल में टीचर के लिये इन्टरव्यू दिलवाने आलोक मुझे जयपुर लाये थे। मुझे रोहा में डा० पूर्वी ध्रुव को दिखाया था प्रमोद पैथोलोजी लैब में मुझे आलोक ने दिखाया था। यह सही है कि जून,2002 में आलोक की नौकरी नागपुर में लग गई वहां हम दोनों साथ जाकर रहे थे नागपुर में कम्पनी के क्वाटर में रहते थे नागपुर वाले क्वाटर में टेलीफोन की सुविधा थी इस टेलीफोन से मैंने अपने मायके बात की थी यह सही है कि 4 जुलाई, 2002 से 26–8–2002 तक मैंने नागपुर में बी.के.सी.पी. स्कूल में बतौर शिक्षक कार्य किया था। नागपुर में रिजाईन करने के बाद मैं और आलोक वापस शाहड बोम्बे आ गये। सितम्बर, 02 से 9 फरवरी,2003 में शाहड में रही।

11.11.13

दिनांक 9–2–03 को जब मैं गर्भवती थी तब डाक्टर को दिखाया था। चिकित्सक का खर्चा मुझसे लिया गया था। यह सही है कि मेरी सास का आपरेशन हुआ था उस समय दो बाईया घर में काम करने आती थी। मुझे पता नहीं कि मेरा प्लेन का टिकिट कितने दिन पहले बुक कराया था। मेरे पति मुझे बोम्बे छोडकर आये थे। यह सही है कि आलोक हमें रिसिव करने आये थे क्योंकि हमें घर का पता नहीं था। मैंने इकोनोमिक्स, बी.एड. कर रखी है। यह सही है कि वर्ष 2005 में अप्रेल में मैं जब अपने माता पिता के पास निवास कर रही थी उस समय आलोक मेरे घर पर आये थे। न्यायालय द्वारा प्रदर्श डी–1 व डी–2 जयपुर से ब्राद्रा के टिकट के बारे में पूछने पर गवाह ने उत्तर दिया कि उक्त टिकट के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। गवाह पी.डब्लू.2 ने यह स्वीकार किया है कि महावलेश्वर में हमने फोटो खिंचवाई थी। प्रदर्श डी–3 व डी–4 रक्षाबन्धन शाहाद के फोटो है। प्रदर्श डी–5 व डी–6 आगरा घूमने के फोटो, प्रदर्श डी–7 व डी–8 नागपुर के फोटो है। प्रदर्श डी–9 फोटो मेरे बेटे के जन्म के कुछ दिन बाद ही खेंचा था। प्रदर्श डी–11 में मेरे पुत्र को मेरी सास ने ले रखा है। प्रदर्श डी–12 व डी–13 ज्योति अपार्टमेण्ट में रहने के फोटो है। प्रदर्श डी–14 से डी–17 फोटो कुआं पूजन के है। प्रदर्श डी–18 से डी–22 फोटो गणेश पूजन की है। यह सही है कि षादी के बाद सरनेम परिवर्तित हो जाता है। यह सही है कि मैंने परिवाद में व्यापार हेतु दो लाख रूपये लाने वाली बात नहीं लिखाई। प्रदर्श डी–23 में ए से बी लिखी बाते सही है। प्रदर्श डी–23 में 17 हजार रूपये लेने वाली बात नहीं लिखाई। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–1 परिवाद पत्र में मेरे पिता को फोन करके कहना कि अपनी पुत्री को ले जाओ, बिना दो लाख रूपये के मैं इसको नहीं रखूंगा, मैंने नहीं लिखाई। मैंने मेरे मुख्य परीक्षण में जो बाते लिखाई है वो सही है। परिवाद में यह लिखा होना कि पुनः परिवादिनी को उसके बच्चे के साथ घर के बाहर निकाल दिया एवं 1–9–04 को परिवादिया अपने बच्चे को साथ लेकर आई थी सही है। यह सही है कि मैंने अपने परिवाद में अभियुक्त का मेरे मायके आकर मेरे बारे में उल्टा सीधा घर के बाहर चिल्लाने लगना, बहुत मनाने पर भी अन्दर नहीं आना तो मुझे मेरे चचेरे मामा को बुलाना पडा, उक्त बात परिवाद में नहीं लिखाई। इनके डर से मैं सांगानेर में अपने रिश्तेदारों के यहां रहने लगी, उक्त बात मैंने अपने परिवाद में नहीं लिखाई। आगे प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि मेरे

सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनि.) एवं
अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–20
जयपुर महानगर (सांगानेर)

जयपुर स्थित अम्बाबाडी का फोन 0141–2338794 है इसपर फोन मैंने आलोक की अनुपस्थिति में उसकी अनुमति से किये थे। प्रदर्श डी–28 से डी–31 फोन मैंने आलोक की अनुमति से किये थे। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि 9 फरवरी 03 को जब मैं बोम्बे से जयपुर प्लेन द्वारा आई थी तब मेरे पिता को सूचना भेजी गई थी जो मुझे रिसिव करने आये थ फिर खुद कहा कि मैंने ही सूचना भिजवाई थी। मुझे जबरदस्ती बोम्बे से जयपुर भेजा गया था। यह सही है कि पुलिस बयान में मैंने व्यापार के लिये दो लाख रूपये वाली बात लिखाई थी उन्होंने क्यों नहीं लिखी पता नही। दिनांक 17 व 18 अप्रेल,2005 को जब आलोक घर से बाहर चिल्ला रहे थे उस समय अडौसी पडौसी कोई बाहर निकलकर नहीं आया, इसी कारण मैंने किसी पडौसी का नाम गवाह के बतौर दर्ज नहीं कराया। यह सही है कि मेरी सास के दो गम्भीर आपरेशन हुये थे। यह सही है कि मुझे डा. लता नागपुर मे डा0 सुनील वैध, डा0 सुषमा तोमर, डा0 सुजाता, डा0 परेल कल्याण तथा अन्य डाक्टरों को समय समय पर दिखाया था। दिनांक 17–18 अप्रेल,05 के बाद आलोक मेरे पास कभी नहीं आया। मेरे पुलिस बयान में दहेज के सामान की बात दर्ज नहीं हो तो मुझे जानकारी नहीं है। यह गलत है कि मुझे डी डी के साथ नकद पैसा दिया हो। मेरे पास हजार ग्यारह सौ रूपये के चार चैक आये थे।

इसी प्रकार अन्य गवाह पी. डब्लू.3 कैलाश चन्द्र जो परिवादिया का पिता है, ने विवाह के समय दहेज का सामान देने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षा में उक्त गवाह ने कथन किया कि आलोक के पिता ने सेन्चूरी मिल के कर्मचारी होने के नाते वहां पर सस्ती रेट पर सारा इन्तजाम करवाया था तथा उन्होंने आलोक के पिता को आजीवन ऋणी रहने बाबत पत्र लिखा था तथा जो सोने, चांदी आदि का सामान लिया उनके बिल उनके पास है या नहीं उसे पता नहीं। मुकदमें के साथ कोई बिल पेश नहीं किये है। दहेज के सामान की लिस्ट तैयार करके दे दी थी परन्तु हस्ताक्षर करके नहीं दी थी। जो पता मैंने आता 210, एडब्लूएचओ कालोनी, अम्बाबाडी, जयपुर का दिया है, उसी पर मैं निवास करता हूं। पुलिस बयान प्रदर्श डी–34 का ई से एफ भाग पुलिस ने गलत लिखा है यह सही है कि आलोक के माता पिता मई, 03 में मेरे घर पर बच्चे से मिलने आये थे दिनांक 17–4–05 व 18–4–05 को मेरी पुत्री की

11.11.13

सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं
अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–20
जयपुर महानगर (सांगानेर)

मौजूदगी में आलोक मेरे घर आये थे और झगडा किया था। उसके बाद आलोक मेरे घर पर व नीलम के पास कभी नहीं आया, न ही झगडा किया। दिनांक 17 व 18–4–05 को मैं घर पर नहीं था मैं सुनी सुनाई बात कह रहा हूं।

इस प्रकार गवाह पी.डब्लू.2 परिवादिया नीलम तथा पी. डब्लू.3 कैलाश चन्द्र द्वारा परिवाद प्रदर्श पी–1 के समर्थन में जो बयान दिये गये है उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादिया पी.डब्लू.2 नीलम का अभियुक्त आलोक के साथ विवाह वर्ष, 2000 में शाहड मुम्बई में हुआ तथा उसके पश्चात् से अधिकतर समय परिवादिया पी.डब्लू.2 अपने पति के साथ मुम्बई व आस पास की जगहों पर रही है। परिवादिया ने यह स्वीकार किया है कि उसके पति की विभिन्न स्थानों पर नौकरी लगने पर वहां कम्पनी के क्वाटर पर उन्होंने निवास किया है तथा वहां पर टेलीफोन आदि की सुविधा उसको उपलब्ध थी। अपने परिवाद प्रदर्श पी–1 में जो क्रूरता की घटना परिवादिया द्वारा बताई गई है वह सभी मुम्बई व रोहा आदि जगहों की होना बताया है। अभियुक्त पर आरोप भी इस बात पर है कि गंधारे बर्वे रोड, गोदरेज हिल रोड, कल्याण वेस्ट थाने, महाराष्ट्र पर दहेज आदि की अवैध मांग की गई व प्रताडित किया गया। परिवादिया पी.डब्लू.2 ने अपने परिवाद प्रदर्श पी–1 में पता 6–ए, चौधरी चरण सिंह कालोनी, सूर्य नगर, तारों की कूट बताया है जबकि उसका पिता अम्बाबाडी में निवास करता है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी निवेदन है कि प्रदर्श पी–1 में न्यायालय के नाम में कांट छांट की गई है। परिवाद में जो तथ्य परिवादिया द्वारा अंकित किये गये है उसकी पुष्टि अभियोजन साक्ष्य से नहीं होती है। परिवादिया पढी लिखी महिला है उसने नौकरी करने के तथ्य को भी स्वीकार किया है तथा अभियुक्त के साथ अपने ससुराल नहीं रही है तथा रोहा तथा अन्य जगहों पर उसके द्वारा निवास किया गया है टेलीफोन की सुविधा भी उसे उपलब्ध होना स्वीकार किया गया है। परिवादिया ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके गर्भवती होने पर विभिन्न 2 चिकित्सकों को उसके द्वारा दिखाया गया है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसे डिलेवरी हेतु प्लेन से जयपुर भेजा गया था तथा डिलेवरी के पश्चात् प्लेन से वापस पहुंचने पर अभियुक्त द्वारा उसे रिसीव किया गया था। विवाह के पश्चात् कई जगह घूमने भी गये। उनके द्वारा विभिन्न फोटोग्राफ भी खिंचवाये

सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–20
जयपुर महानगर (राजस्थान)

अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–20,
जयपुर महानगर (राजस्थान)

गये जो प्रदर्शित भी करवाये गये है। उनका अवलोकन करने से यह जाहिर होता है कि परिवादिया व अभियुक्त सामान्य तौर पर अपना जीवन यापन करते रहे है। गवाह पी.डब्लू.3 कैलाश चन्द्र ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि विवाह के लिये अभियुक्त के पिता द्वारा सेन्चूरी मिल में सस्ती दर पर सारा इन्तजाम किया गया था जिसके लिये उनका आभार व्यक्त किया गया था। जो सामान उनके द्वारा देना बताया गया है उनके कोई बिल आदि उनके पास नहीं होने का पी.डब्लू.3 ने कथन किया है। गवाह से कई प्रश्न पूछे गये है जिनके उत्तर में उसने कथन किया है कि उसने कुछ बातें अनुसंधान अधिकारी को बताई थी परन्तु उसने बयानों में क्यों नहीं लिखी। जो परिवाद पी.डब्लू.2 द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसमें तथा धारा 161 सीआरपीसी के तहत लिये गये बयानों तथा न्यायालय में पी.डब्लू.2 व पी.डब्लू.3 के बयानों में काफी विरोधाभास है। कई तथ्य परिवाद में अंकित नहीं किये गये है फिर भी बयानों में परिवादिया द्वारा बताये गये है। परिवादिया अच्छी पढी लिखी महिला है तथा परिवाद भी काफी सोच समझकर दर्ज करवाया गया है फिर भी साक्ष्य में काफी विरोधाभास है केवल आई.सी.डब्लू.ए.आई. कोर्स नहीं होने के कारण मानसिक कूरता नहीं माना जा सकती है क्योंकि पक्षकार लगभग 4–5 वर्षो तक पति पत्नि के रूप में निवास करते रहे है तथा उनके एक पुत्र का भी जन्म हुआ है जो साक्ष्य पी. डब्लू.2 व पी.डब्लू.3 द्वारा दी गई है उसमें काफी विरोधाभास को देखते हुये आरोपित अपराध को सन्देह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। कोई अन्य स्वतंत्र साक्षी परिवाद प्रदर्श पी–1 के समर्थन में न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ है। गवाह पी.डब्लू.1 के.के. अवस्थी द्वारा केवल बयान लेने व फोटोग्राफ को शामिल पत्रावली किये जाने का कथन किया गया है और स्थानान्तरण होने पर पत्रावली अन्य अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द करने का कथन किया गया है व अन्य कोई कार्यवाही नहीं की गई है। परिवादिया ने परिवाद में जो आरोप लगाये है उनके सम्बन्ध में पी.डब्लू.3 कैलाश चन्द्र ने यह स्वीकार किया है कि उसके सामने कभी आलोक ने नीलम के साथ झगडा नहीं किया केवल उसने सुनी सुनाई बात के आधार पर कथन किया है। अभियुक्त आलोक द्वारा परिवादिया के घर जाकर जयपुर में हंगामा करने, उसे प्रताडित करने बाबत कथन नहीं किया है। परिवादिया द्वारा अपना जो निवास का पता बताया गया है उसपर घटना बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। समस्त घटनाक्रम इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर हुआ है। इस प्रकार पत्रावली पर जो उपलब्ध साक्ष्य है उससे अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित

अपर मुख्य ... क्रम-20

सत्य प्रतिलिपि

के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त आलोक शर्मा उसके विरूद्ध आरोपित अपराध अर्न्तगत धारा 498–ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषमुक्त करार दिये जाने योग्य है।

आदेश

अतः अभियुक्त आलोक शर्मा पुत्र मालीराम जाति ब्राहमण उम्र 41 साल, मंगला पार्क, खण्डक पाडा गंधारे बर्णे रोड, गोदरोज हिल रोड, कल्याण वेस्ट थाने(महाराष्ट्र) को उसके विरूद्ध आरोपित अपराध अर्न्तगत धारा 498–ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषमुक्त करार दिया जाता है। अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है अतः उसके जमानत मुचलके बाबत हाजरी पेशी निररस्त किये जाते है। साथ ही अभियुक्त धारा 437–ए दण्ड प्रकिया संहिता के प्रावधानों के तहत 10,000/– रूपये के जमानत मुचलके माननीय अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत पेश कर तस्दीक कराये। प्रकरण में जब्तशुदा सामान पूर्व से सुपुर्दगी पर है अतः बाद गुजरने मियाद अपील सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा निरस्त किया जावे।

11.11.13

(अनीश दाधीच)
अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम संख्या–20
जयपुर महानगर, सांगानेर

अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–20
जयपुर महानगर (सांगानेर)

निर्णय आज दिनांक 11.11.2013 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

11.11.13

(अनीश दाधीच)
अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम संख्या–20
जयपुर महानगर, सांगानेर

अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–20
जयपुर महानगर (सांगानेर)

सत्य प्रतिलिपि
सत्य प्रतिलिपि
प्रतिलिपि सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं
अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–20
जयपुर महानगर (सांगानेर)